

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक:- एफ.12() राजकाज/एपीएआर/आईसीडीएस/2022/ 165623

जयपुर दिनांक: 6/9/2022

परिपत्र

विषय:-वर्ष 2021-2022 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरे जाने के संबंध में समय सीमा बढ़ाये जाने बाबत।

प्रसंग:-कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(51)का/क-1/गो.प्र./2022 दिनांक 31.08.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(51)का/क-1/गो.प्र./2022 दिनांक 30.03.2022 एवं 22.04.2022 के द्वारा राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वयं के SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर दिनांक 31.05.2022 तक अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया गया था तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31.05.2022, 30.06.2022 एवं 01.08.2022 के द्वारा समय सीमा बढ़ाकर 31.08.2022 की गई थी।

इसी क्रम में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.08.2022 की पालना में राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरने एवं Auto Forward/Approval किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 31.08.2022 से **बढ़ाकर** दिनांक **30.09.2022** तक की जाती है।

संलग्न:- उक्तानुसार

(डॉ०लक्ष्मीनारायण बुनकर)
उप निदेशक (वि.खा.का)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.12() राजकाज/एपीएआर/आईसीडीएस/2022/ 165624-75

जयपुर दिनांक: 6/9/2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मबावि एवं पंचायती राज(महिला एवं बाल विकास)विभाग ,शासन सचिवालय ,जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं पंचायती राज(आई.सी.डी.एस.)विभाग ,मुख्यालय,जयपुर।
3. समस्त निदेशालय के अधिकारीगण।
4. एसीपी ,मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करवाने बाबत ।
5. समस्त उपनिदेशक एवं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ०लक्ष्मीनारायण बुनकर)
उप निदेशक (वि.खा.का)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर